

# वित्त विधेयक, 2011

## वित्त विधेयक, 2011 से संबंधित उपबंध

### प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2011 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए है,—

- (i) व्यष्टि कर दाताओं के मामले में आधारीक छूट बढ़ाना;
- (ii) वरिष्ठ नागरिकों की अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करना और ऐसे मामलों में वर्तमान छूट की सीमा को भी बढ़ाना;
- (iii) 80 वर्ष की आयु से अधिक के अत्यन्त वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर छूट सीमा प्रदान करना;
- (iv) कंपनियों के मामले में कर पर अधिभार घटाना;
- (v) अवसंरचना ऋण निधियों के गठन को सुकर बना कर के विदेशी उधारों को प्रोत्साहन देना;
- (vi) ऋण पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित आय के कराधान को सुव्यवस्थित करना;
- (vii) सेज और उनमें प्रचालन कर रही इकाइयों के विकासकर्ताओं पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) उद्गृहीत करना;
- (viii) सीमित दायित्व भागीदारियों के मामले में अनुकल्पी न्यूनतम कर (एमटी) का उद्ग्रहण करना;
- (ix) उन अधिकारिताओं के संबंध में, जिनके साथ सूचना के आदान प्रदान का अभाव है, प्रति उपायों का सेट प्रदान करना।
- (x) वर्ष 2011-12 के दौरान, भारतीय कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी समनुषंगियों से प्राप्त लाभांश पर कर की रियायती दर प्रदान करना।

2. वित्त विधेयक, 2011, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर हेतु दायी आयों पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरों, “वेतन” से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभारित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें कर विधि के सुसंगत उपबंधों पर कार्यवाही करते समय उपदर्शित किया गया है, कर विधि के उपबंधों में परिवर्तनों को उनके प्रवर्तन में मामूली तौर पर भविष्यलक्षी करने का प्रस्ताव है।

4. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

### आय-कर

#### आय-कर की दरें

##### I. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो “अग्रिम कर” की संगणना, “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2010 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

##### (1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा:—

- (क) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
- (ख) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित हो, जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमांत राहत अनुज्ञात की जाएगी।

##### (2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, सभी मामलों में अधिभार सहित, संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमान्त राहत उपलब्ध नहीं होगी।

##### II. “वेतन” से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

“वेतन” से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त

अधिनियम, 2010 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा अनिवासी को संदत्त ब्याज आय के मामले में कटौती की दरों का अब प्रस्तावित नयी धारा 194ठख में उपबंध किया गया है।

### (1) अधिभार

देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

### (2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

### III. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय “अग्रिम कर” की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए विरचित निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

### अ - व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 को पैरा का आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) (iii) और (iv) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

1,80,000 रुपए तक	शून्य
1,80,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी समय साठ वर्ष की आयु से कम है,—

1,90,000 रुपए तक	शून्य
1,90,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान में किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iv) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पहली अनुसूची के भाग -3 के पैरा क के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

### आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटीयों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी पर साढ़े सात प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम कर के पांच प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान ढाई प्रतिशत के अधिभार को घटाकर दो प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सभी अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115अख, 115ण, 115द आदि भी हैं) साढ़े सात प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम करके पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, सभी मामलों में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2]

## "पूर्त प्रयोजन" की परिभाषा

आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्त प्रयोजन" को धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, "किसी साधारण लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना"। तथापि, "किसी साधारण लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना" तब पूर्त प्रयोजन नहीं है यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अन्तर्वलित है, चाहे ऐसे क्रियाकलाप से होने वाली आय का उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण किसी भी प्रकृति का हो और ऐसे क्रियाकलाप से पूर्ववर्ष में कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक हैं।

ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्तियों की बाबत चालू धनीय सीमा दस लाख रुपए से बढ़ा कर पच्चीस लाख रुपए तक किए जाने के लिए धारा 2(15) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

## संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कतिपय परिलब्धियों पर छूट

आय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंध जब तक अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छूट न हो, "वेतन" शीर्ष के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किन्हीं परिलब्धियों या भत्तों के कराधान के लिए उपबंध करते हैं।

इस समय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को उनकी सेवा-शर्तों, शासित करने वाले अपने-अपने अधिनियमों के समर्थकारी उपबंधों के परिणामस्वरूप कराधान से छूट प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट परिलब्धियों और भत्तों की बाबत उस छूट का फायदा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, विस्तारित करने के लिए धारा 10 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किए जाने के लिए प्रस्तावित है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

## अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण या न्यास या बोर्ड या आयोग की विनिर्दिष्ट आय की छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे किसी निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग की किसी विनिर्दिष्ट आय से छूट का उपबंध किया जा सके जिसे जन साधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप को विनियमित करने या प्रशासित करने के उद्देश्य से किसी केन्द्रीय या राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है या गठन किया गया है या केन्द्रीय सरकार या राज्य द्वारा गठन किया गया है, परन्तु-

- वह किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है, और
- उसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ऐसे अस्तित्व को अधिसूचित करते समय छूट प्रदान की जाने वाली आय की प्रकृति और सीमा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

ऐसे अधिसूचित अस्तित्व द्वारा आय की विवरणी फाइल करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 139 में पारिणामिक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 4, 23]

## अवसंरचना ऋण निधि

अवसंरचना सेक्टर के लिए विदेश से प्राप्त दीर्घकालिक कम लागत निधि में वृद्धि करने के लिए, समर्पित ऋण निधियों की स्थापना को सुकर बनाने का प्रस्ताव है। आय-कर अधिनियम की धारा 10, कुल आय की परिधि से कतिपय आयों को अपवर्जित करती है। आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसी अवसंरचना ऋण निधि को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थकारी शक्ति प्रदान की जा सके, जो विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसे एक बार अधिसूचित किए जाने पर, ऐसी ऋण निधि को आय-कर से छूट प्राप्त होगी। तथापि, उससे आय की विवरणी फाइल, करने की अपेक्षा की जाएगी।

आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि से किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त कोई ब्याज ऐसी ब्याज की आय की सकल रकम पर पांच प्रतिशत की दर से कराधेय होगी।

एक नई धारा 194 ठख अंतः स्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा अनिवासी को उसके द्वारा संदत्त किसी ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाए।

इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 4, 15, 23, 27]

## विशेष आर्थिक जोनों की दशा में न्यूनतम अनुकल्पी कर (मैट) और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से संबंधित उपबंध

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रथम पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए वस्तुओं या चीजों से अथवा सेवाओं के निर्यात से विशेष आर्थिक जोन (सेज) में अवस्थित किसी यूनिट द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत शत प्रतिशत की कटौती, अतिरिक्त पांच निर्धारण वर्षों के लिए पचास प्रतिशत की कटौती, और तत्पश्चात् आगामी पांच वर्षों के लिए पारिणामिक निर्यात लाभ को पचास प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 80झकख के अधीन, उस वर्ष से, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा सेज अधिसूचित किया जाता है, आरंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित सेज के विकास के कारबार से किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

धारा 115 जख (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन (सेज) में, यथास्थिति, किसी उद्यम या किसी विकासकर्ता द्वारा किए गए किसी कारबार या प्रदान की गई सेवाओं से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाली आय की बाबत बही लाभ पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (मैट) के संदाय से छूट अनुज्ञात की जाती है।

इसके अतिरिक्त, धारा 115ण (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे उपक्रम या उद्यम की कुल आय की बाबत वितरित लाभ [लाभांश वितरण कर (डीडीटी)] पर कर के संदाय से छूट अनुज्ञात है, जो अपनी वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांशों (चाहे वे अन्तरिम हो या अन्यथा) के रूप में ऐसे विकासकर्ता या उद्यम द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास या विकास और प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुसंधान में लगे हुए हैं। ऐसी वितरित आय को भी अधिनियम की धारा 10(34) के अधीन छूट प्राप्त है।

उपरोक्त उपबंध, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (सेज अधिनियम) द्वारा आयकर अधिनियम में 10 फरवरी, 2006 से अन्तः स्थापित किए गए थे।

वर्तमान में, सेज या किसी सेज में अवस्थित यूनिट के विकासकर्ता की दशा में न्यूनतम अनुकल्पी कर से छूट के लिए किसी अन्तिम तारीख का उपबंध नहीं किया गया है। इसी प्रकार, विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के मामले में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट के लिए कोई अन्तिम तारीख नहीं है।

आय-कर अधिनियम और साथ ही विशेष आर्थिक जोन अधिनियम में विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं और विशेष आर्थिक जोनों की यूनिटों के मामले में न्यूनतम अनुकल्पी कर से छूट की उपलब्धता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख का यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह और प्रस्ताव है कि 1 जून, 2011 को या उसके पश्चात् घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के लिए आय-कर अधिनियम और साथ ही विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ताओं के मामले में लाभांश वितरण कर से छूट की उपलब्धता को समाप्त किया जाए।

आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 10(34) के स्पष्टीकरण का लोप करके पारिणामिक संशोधनों को करने का भी प्रस्ताव है।

धारा 10(34) में यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

सेज अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पैरा (क) [01.06.2011 से], पैरा (ज) [01.04.2012] से और पैरा (झ) [01.06.2011 से] के खंड (ग) का लोप करके विशेष आर्थिक जोन की दूसरी अनुसूची में पारिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

[खंड 4, 17, 19 और 76]

## अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए किए गए अभिदाय के लिए भारित कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35(2कक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि के लिए 175 प्रतिशत तक की सीमा तक भारित कटौती अनुज्ञात की जाती है।

ऐसे अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में अधिक अभिदायों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस भारित कटौती को 175 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, वह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

## विनिर्दिष्ट कारबारों की बाबत विनिधान संबद्ध कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35 कघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन "विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण और अनन्यतः उपगत पूंजी प्रकृति (भूमि पर गुडविल और वित्तीय लिखत से भिन्न) के किसी व्यय की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करने के रूप में विनिधान संबद्ध कर प्रोत्साहन का उपबंध किया गया है। वर्तमान में, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कारबार धारा 35 कघ(8) (ग) के अधीन विनिधान संबद्ध कटौती का लाभ लेने के लिए पात्र हैं:-

- किसी शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन;
- कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन
- वितरण के लिए क्रासकंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल पाइप लाइन नेटवर्क बिछाना और उसका प्रचालन, जिसके अन्तर्गत भंडारण सुविधा भी है, जो ऐसे नेटवर्क का अविभाज्य भाग है;
- भारत में कहीं भी केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के नए होटल का निर्माण और प्रचालन भी है;
- भारत में कहीं भी, मरीजों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन;
- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित की गई और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित की गई, किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण।

"विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में दो नए कारबारों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; अर्थात्—

- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित और इस निमित्त बोर्ड द्वारा उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित वहनीय आवास संबंधी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण; और
- भारत में उर्वरक का उत्पादन।

"विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रारंभ की तारीखें पात्रता की शर्त के रूप में धारा 35 कख (5) में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। यह प्रस्ताव है कि वहनीय आवास परियोजनाओं के और किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई अधिष्ठापित क्षमता में उर्वरक के उत्पादन के दो "विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 73क के अधीन, "किसी विनिर्दिष्ट कारबार" [धारा 35कघ के अधीन] की कोई हानि का किसी अन्य "विनिर्दिष्ट कारबार" के लाभों और अभिलाभों के प्रति मुजरा अनुज्ञात किया गया है। होटलों तथा अस्पतालों के कारबार की बाबत इस संबंध में किसी संदिग्धता को दूर करने के लिए, धारा 35 (8) (ग) के अधीन होटलों और अस्पतालों के मामले में "विनिर्दिष्ट कारबार" की परिभाषा से "नए" शब्द को हटाए जाने का प्रस्ताव है। इससे, धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा करने वाले किसी "विनिर्दिष्ट कारबार" मद्दे किसी निर्धारिती की हानि का धारा 73क के अधीन किसी अन्य "विनिर्दिष्ट कारबार" के लाभ के प्रति मुजरा के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, चाहे पश्चातवर्ती धारा 35 कघ के अधीन कटौती के लिए पात्र हो या नहीं। अतः, ऐसा कोई निर्धारिती जो इस समय किसी अस्पताल या होटल का प्रचालन करता है, ऐसे नए अस्पताल या नए होटल की जो 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात् प्रचालन करना आरंभ करता है और जो धारा 35 कघ के अधीन व्यय की कटौती के लिए पात्र हैं, ऐसी हानि, यदि कोई हो, के प्रति ऐसे कारबार के लाभों का मुजरा करने में समर्थ होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

## नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए कर फायदे

अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम की धारा 80 गगघ, कर्मचारी की ओर से नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लेखा में कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदायों की बाबत कटौती का उपबंध करता है। धारा 80 गगघ, के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, धारा 80 ग, धारा 80 गगघ और धारा 80 गगघ के अधीन एकल कटौती एक लाख रूपए से अधिक नहीं हो सकती। धारा 80 गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती में नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता दोनों के अभिदाय सम्मिलित किए जाते हैं।

धारा 80 गगघ, का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80 गगघ(2) के अधीन पेंशन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अभिदाय धारा 80 गगघ, के अधीन उपबंधित एक लाख रूपए की सीमा से अपवर्जित किया जाए।

वर्तमान में, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अभिदाय, अनुमोदित अधिवर्षिता निधि या अनुमोदित उपदान निधि, कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए धारा 36 के अधीन कारबार आय से कटौती के रूप में अनुज्ञेय है। तथापि, नई पेंशन प्रणाली में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय को, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया है।

अतः, धारा 36 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में अपने किसी कर्मचारी की बाबत धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम उस सीमा तक जहां तक वह पूर्व वर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आप की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार वे निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7, 8]

## दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय की संगणना में 20,000 रूपए की राशि (कर बचत के लिए धारा 80गगघ के अधीन उपलब्ध एक लाख रूपए की विद्यमान सीमा से ऊपर और अधिक) कटौती के रूप में तब अनुज्ञात है, यदि उस राशि को निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में संदत्त या जमा किया जाता है।

वर्ष 2011-12 (निर्धारण वर्ष 2012-13) के लिए भी अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश मद्दे कटौती अनुज्ञात करने के लिए धारा 80गगघ का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 9]

## विद्युत क्षेत्र हेतु कर छूट के लिए सावधि-विधि खंड का विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 80 झक(4) (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे उपक्रम को लाभ और अभिलाभों की कटौती अनुज्ञात है,—

- (क) जिसे विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित किया गया है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन आरंभ कर देता है;
- (ख) जो 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण आरंभ कर देता है;
- (ग) जो 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारवान् नवीकरण या आधुनिकीकरण प्रारंभ करता है।

इस अंतिम तारीख को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक की ओर अवधि के लिए विस्तारित करने के लिए धारा 80-झक (4) (iv) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

## खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन में लगे कतिपय उपक्रमों के लिए कर छूट की समाप्ति

आय-कर अधिनियम, की धारा 80-झक (9) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे उपक्रम को एक सात वर्षीय शत प्रतिशत लाभ-संबद्ध कटौती उपलब्ध है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी को पूरा करता है, अर्थात् :-

- (i) वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;
- (ii) वह भारत के किसी भाग में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;
- (iii) वह खनिज तेल के परिष्करण में लगा हुआ है और वह 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2012 से अपश्चात् ऐसा परिष्करण आरंभ कर देता है;
- (iv) वह भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन खोज संविदाएं प्रदान करने के लिए बोली के आठवें दौर (एनईएलपी-VIII) के अंतर्गत अनुज्ञप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा है और वह 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देता है।
- (v) वह कोयला बेड मीथेन ब्लॉकों के लिए खोज संविदाएं प्रदान करने हेतु बोली के चौथे दौर के अधीन अनुज्ञप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा है और वह 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देता है।

इस कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, किसी एकल संविदा के अधीन अनुज्ञप्त ऐसे सभी ब्लॉकों को, जिन्हें भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-1908/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1997 के द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में प्रदान किया गया है, एकल "उपक्रम" के रूप में माना जाता है।

इस प्रकार, ऐसा कोई उपक्रम, जो भारत के किसी भाग में अवस्थित है और खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है, ऊपर उल्लिखित कटौती के लिए इस समय अनुज्ञात है, यदि उसने 1 अप्रैल, 1997 के पश्चात् किसी समय खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है। ऐसे कारोबार के लिए किसी अंतिम तारीख का उपबंध नहीं किया गया है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपलब्ध उपरोक्त कटौती, भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में 31 मार्च, 2011 के पश्चात् प्रदान की गई संविदाओं के अधीन अनुज्ञप्त ब्लॉकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

## अंतरण कीमत नियत करने संबंधी उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

क. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग सन्निकट कीमत (एएलपी) की संगणना के लिए प्रक्रिया उपबंधित करती है। यह धारा एएलपी की संगणना की पद्धतियों का उपबंध करती है और यह आज्ञापक बनाती है कि एएलपी की संगणना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। यह भी उपबंधित है कि यदि चयन की गई पद्धति द्वारा एक अधिक कीमत अवधारित होती है तो, एएलपी को ऐसी कीमतों के गणितीय औसत के रूप में माना जाएगा। धारा 92ग(2) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि संव्यवहार की वास्तविक कीमत और ऊपर यथा अवधारित एएलपी के बीच का अंतर वास्तविक कीमत के 5% से अधिक नहीं है तो कोई समायोजन नहीं किया जाएगा और वास्तविक कीमत को एएलपी के रूप में माना जाएगा।

कारबार-क्रियाकलाप की सभी शाखाओं और अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की संपूर्ण रेंज में 5% के नियत अंतर की उपयोगिता समाप्त हो गई है। अतः, अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 5% के अंतर के बजाय अनुज्ञेय अंतर ऐसा प्रतिशत होगा, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

ख. अधिनियम की धारा 92 गक यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (टीपीओ) किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत का अवधारण कर सकता है, जो किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को निर्दिष्ट किया गया है।

धारा 92 गक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी की

अधिकारिता ऐसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में एएलपी के अवधारण को विस्तारित होगी, जो उसके पश्चात् उसके द्वारा उसके समक्ष की कार्यवाहियों के अनुक्रम में जानकारी में आते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार, निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के अतिरिक्त होंगे।

ग. धारा 92 गक(7) यह उपबंध करती है कि एएलपी के अवधारण के प्रयोजन के लिए टीपीओ धारा 131(1) और धारा 133(6) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये शक्तियां मामले की जांच या उसके अन्वेषण के प्रयोजन के लिए समन करने या ब्यौरे मंगाने की ही शक्तियां हैं।

टीपीओ को उसी स्थान पर जांच और सत्यापन करने में समर्थ बनाने के लिए धारा 92गक(7) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि टीपीओ को अधिनियम की धारा 133क के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी को प्रदत्त सर्वेक्षण शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ बनाया जा सके।

इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

घ. आय-कर अधिनियम की धारा 139 निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर को कारपोरेट निर्धारितियों की दशा में आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में अनुबंधित करती है। आय की विवरणी फाइल करने के अतिरिक्त ऐसे निर्धारितियों से, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किए हैं, (धारा 92ड के उपबंधों के अधीन) आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से पूर्व प्ररूप 3गड ख में अंतरण मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और फाइल करने की अपेक्षा की जाती है।

कारपोरेट निर्धारितियों, अपने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 सितंबर से पूर्व समकालीन समतुलनीय डाटा तक पहुंच बनाने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अतः, धारा 139 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे ऐसे कारपोरेट निर्धारितियों द्वारा आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करके निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 12, 13, 23]

### अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों के संबंध में प्रति उपायों का संग्रह

किसी निवासी निर्धारितियों द्वारा, किसी ऐसे देश या अधिकारिता में जो भारत के साथ प्रभावी रूप से सूचना का आदान-प्रदान नहीं करता है, अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए आय-कर अधिनियम में परिवर्जन रोधी उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

अधिनियम की धारा 94क में एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे देश या क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ किए गए संव्यवहारों से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है कि,—

(1) केन्द्रीय सरकार को, भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र को, उसके द्वारा भारत के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की कमी को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने में समर्थ बनाने वाली शक्ति;

(2) यदि कोई निर्धारितियों ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जहां जिसके पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसा व्यक्ति है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित है, तब संव्यवहार के सभी पक्षकारों को सहबद्ध उद्यम समझा जाएगा और इस संव्यवहार को एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे संव्यवहार को अंतरण मूल्यांकन विनियम लागू होंगे;

(3) किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारितियों, उसके निमित्त कार्रवाई करने वाले बोर्ड या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हुए विहित प्ररूप में प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर देता;

(4) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक (अवक्षयण सहित) के संबंध में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तब तक कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्धारितियों ऐसे अन्य दस्तावेज बनाए नहीं रखता और ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं करता, जो विहित की जाए;

(5) यदि अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति के या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में ऐसे धन के स्रोत को समाधानप्रद रूप में स्पष्ट करने का भार निर्धारितियों पर है और ऐसा करने में उसके असफल रहने की दशा में उस रकम को निर्धारितियों की आय समझा जाएगा;

(6) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को किया गया कोई संदाय, अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दरों या प्रवृत्त दर या दरों की उच्चतर दर पर या 30 प्रतिशत की दर पर कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 14]

### कतिपय विदेशी लाभांशों पर निम्न दर पर कराधान

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश निवासी शेयरधारक के हाथों में लागू कर की सीमांत दर से कराधेय हैं। अतः ऐसी भारतीय कंपनियों की दशा में, जो विदेशी लाभांश प्राप्त करती हैं, ऐसा लाभांश तीस प्रतिशत की दर और लागू अधिभार और उपकर से कराधेय है।

यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 15खख को अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है कि जहां किसी भारतीय कंपनी के निर्धारण वर्ष 2012-13 से सुसंगत प्रतिवर्ष के लिए कुल आय में किसी विदेशी समनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, वहां ऐसे लाभांश, लाभांशों की कुल रकम पर पंद्रह प्रतिशत की दर से कराधेय (धन लागू अधिभार और उपकर) होगा। अधिनियम के अधीन ऐसे लाभांशों के संबंध में कोई व्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

## न्यूनतम अनुकल्पी कर

धारा 115जख(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसी कंपनी से उसके बही लाभ पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, यदि अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के संबंध में यथा संगणित कुलआय पर संदेय आयकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर से कम है। उक्त धारा के अधीन संदत्त कर की रकम को, उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें धारा 115जकक के उपबंधों के अधीन कर प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है, तुरंत उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष तक अग्रनीत करना और संदेय कर के प्रति उसका मुजरा करना अनुज्ञेय है।

न्यूनतम अनुकल्पी कर की दर को ऐसे बही लाभ के विद्यमान अटारह प्रतिशत की दर से बढ़ाकर साढ़े अटारह प्रतिशत करने के लिए इस धारा का संशोधन करना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

## सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए अनुकल्पी न्यूनतम कर

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (एलएलपी) वर्ष 2009 से प्रभावी हुआ है। एलएलपी में किसी निगमित निकाय और साथ ही पारंपरिक भागीदारी, दोनों की विशेषताएं होती हैं। आय-कर अधिनियम, सीमित दायित्व भागीदारियों के लिए उसी करगणन व्यवस्था का उपबंध करता है जो किसी भागीदारी फर्म को लागू है। यह किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से किसी एलएलपी में संपरिवर्तन पर कर निष्पक्षता (कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए) का उपबंध भी करता है।

करगणन के लिए फर्म के रूप में मानी जा रही किसी एलएलपी को आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कंपनी की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त हैं;—

- (i) यह न्यूनतम अनुकल्पी कर के अध्याधीन नहीं है;
- (ii) यह लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के अध्याधीन नहीं है; और
- (iii) यह अधिभार के अध्याधीन नहीं है।

लाभ संबद्ध कटौतियों के मुकाबले में कर आधार को बनाए रखने के लिए कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों से संबंधित विशेष उपबंधों को अंतर्विष्ट करने वाले एक नए अध्याय 12खक को आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन के अधीन जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर न्यूनतम अनुकल्पी कर से कम है वहां ऐसी समायोजित कुल आय को ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय के रूप में समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अटारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

उपरोक्त के प्रयोजनों के लिए,

- (i) "समायोजित कुल आय" इस नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व ऐसी कुल आय होगी जिसे शीर्ष "ग-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौतियों, और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों, से अधिक हो जाती है।
- (ii) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" साढ़े अटारह प्रतिशत की दर से समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम होगी, और
- (iii) "नियमित आय-कर" द्वारा नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक के उपबंधों से भिन्न अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर होगा।

यह और उपबंध किया जाता है कि इस नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक के अधीन किसी सीमित भागीदारी द्वारा संदत्त कर के लिए प्रत्यय (कर प्रत्यय) उसे उस सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा, जो नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य है। यह कर प्रत्यय उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात होगा। उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें नियमित आय-कर, अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक है। अनुकल्पी न्यूनतम कर पर नियमित आय-कर के आधिक्य की सीमा तक मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

## यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115द(2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई पारस्परिक निधि उसके यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम पर अतिरिक्त करने पर रकम पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी है।

व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण निधि द्वारा वितरित आय पर 30 प्रतिशत के उच्चतर दर पर अतिरिक्त आय-कर उद्गृहीत करने का प्रस्ताव है।

इसलिए, अधिनियम की धारा 115द(2) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि निम्नलिखित दर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने की दायी हो सके-

- (क) द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरण की दशा में 25 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है;
- (ख) द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरण की दशा में 30 प्रतिशत यदि प्राप्तकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है;

(ग) द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न ऋण निधि द्वारा वितरण की दशा में 12.5 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है; और

(घ) द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न ऋण निधि द्वारा वितरण की दशा में, यदि प्राप्तकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, 30 प्रतिशत।

किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को वितरण की दशा में आय-कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी साम्योन्मुखी निधि द्वारा आय का वितरण कर से छूट प्राप्त बना रहेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 20]

### भारत से बाहर कर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों पर सूचना का संग्रहण

आय-कर अधिनियम की धारा 131(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय कर-प्राधिकारियों को प्रकटीकरण और निरीक्षण, किसी व्यक्ति को हाजिर करवाने जिसके अंतर्गत बैंकारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है और शपथ पर उसकी परीक्षा करने, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने तथा कमीशन जारी करने की बाबत वही शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जो वाद की सुनवाई करते समय किसी सिविल न्यायालय को उपलब्ध हैं।

भारत से बाहर कर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों पर सूचना के त्वरित संग्रहण को सुकर करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन सूचना के विनिमय के लिए करार किया है।

तदनुसार, धारा 131 में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। नई उपधारा यह उपबंध करती है कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए धारा 131(1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को वर्तमान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना समर्थकारी होगा। बोर्ड द्वारा इस प्रकार अधिसूचित प्राधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत इसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, धारा 131(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होगा।

धारा 131(3) को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे कि बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित पूर्वोक्त प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में इसके समक्ष प्रस्तुत किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या प्रतिधारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

आय-कर अधिनियम की धारा 133 में भी वैसे ही संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 21, 22]

### आय की विवरणी प्रस्तुत करने से व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 139(1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस प्रत्येक व्यक्ति से यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसकी कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभावी नहीं है, उसकी आय की विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है।

वेतनभोगी कर दाताओं की दशा में, नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से संपूर्ण कर दायित्व का निर्वहन किया जाता है। ऐसे कर दाताओं के संपूर्ण विवरण भी नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती विवरणियों (टीडीएस) द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए, उन दशाओं में, जहां आय का कोई अन्य साधन नहीं है, रिटर्न फाइल करना विद्यमान सूचना का दोहराव है।

छोटे कर दाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, धारा 139 में उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह उपबंध केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, आय की विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा से व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करता है।

यह उपबंध करने के लिए कि धारा 139(1ग) के अधीन जारी कोई अधिसूचना संसद् के समक्ष रखी जाए, धारा 296 के उपबंधों में पारिणामिक संशोधन करना भी प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 23 और 32]

### केन्द्रीयकृत कार्यवाही केन्द्र में विवरणी पर कार्यवाही करने के लिए अधिसूचना

आयकर अधिनियम की धारा 143(1ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार, धारा 143(1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित आय-कर अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2011 के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा।

धारा 143(1ख) में विद्यमान समय सीमा को अधिसूचना जारी करने के लिए 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा।

[खंड 24]

## सूचना के आदानप्रदान की दशा में निर्धारणों के लिए समय सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 153 निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमाओं का उपबंध करती है। आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित किया जाता है।

भारत से बाहर स्थित अधिकारिता में कर प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने में, निर्धारण या पुनः निर्धारण पूरा करने के लिए विहित कानूनी समय सीमा से धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन अवधि को अपवर्जित करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (viii) अंतःस्थापित करना उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदानप्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की किसी अवधि, इनमें से जो भी कम हो, को अपवर्जित किया जाएगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में वैसे ही संशोधन किए जाने प्रस्तावित हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[ खंड 25 और 26 ]

## समझौता आयोग के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए शर्तों में उपांतरण

धारा 245ग(1) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करना अनुज्ञात करते हैं यदि--

(i) धारा 153क के अधीन या धारा 153ग के अधीन कार्यवाहियां आवेदक के विरुद्ध आरंभ कर दी गई हों और आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ii) अन्य मामलों में, यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक हो।

कर दाता द्वारा समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु मानदण्ड विस्तृत करना प्रस्तावित है, जिसके मामले में लेखा बहियों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं।

अतः धारा 245ग(1) के परंतुक में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह अनुबंध करता है कि आवेदन वहां किया जा सकता है, जहां आवेदक-

(क) [ऊपर (i) में निर्दिष्ट] उस व्यक्ति से संबंधित है जिसके मामले में तलाशी के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं और जिसने आवेदन फाइल किया है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति है जिसके मामले में तलाशी के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां भी प्रारंभ की गई हैं;

(ग) उसके आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की रकम दस लाख रुपए से अधिक है।

इसके परिणामस्वरूप, कोई कर दाता जो तलाशी की विषयवस्तु है, समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय अतिरिक्त आय-कर पचास लाख रुपए से अधिक है। ऐसे कर दाता से संबंधित व्यक्ति, जो ऐसी तलाशी की विषय-वस्तु भी हैं, समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु अब अनुज्ञात होंगे, यदि उनके आवेदन में संदेय अतिरिक्त आय-कर, दस लाख रुपए से अधिक है।

ऐसा व्यक्ति जो धारा 245ग(1) के परंतुक के खंड (i) के अधीन आवेदन करता है तथा परंतुक के खंड (i) में वर्णित व्यक्ति के बीच नातेदारी धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके परिभाषित की गई है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

[ खंड 28 ]

## समझौता आयोग द्वारा अपने आदेशों के परिशोधन की शक्ति

आयकर अधिनियम की धारा 245घ(4) के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि समझौता आयोग आवेदक और आयुक्त को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात इसके द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। इसके अतिरिक्त, धारा 245घ(1) के अधीन समझौता आयोग को अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी में निहित सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आय-कर प्राधिकारी को (धारा 154 के अधीन) अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित करने की शक्ति है।

धारा 245घ में एक नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग इसके द्वारा धारा 245घ(4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, आदेश की तारीख से छह मास के भीतर किसी भी समय, संशोधन कर सकेगा।

यह और उपबंधित है कि ऐसा कोई परिशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न किया हो।

वैसे ही आधारों पर पारिणामिक संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 22घ के उपबंधों में किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 29 और 34]

### दस्तावेज पहचान संख्यांक कोट करने की अपेक्षा का लोप

धारा 282ख में विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र व्यवहार के संबंध में कम्प्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आवंटित करेगा और उसमें ऐसे संख्यांक को कोट किया जाएगा।

अखिल भारतीय आधार पर अपेक्षित अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त धारा का लोप किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा।

[खंड 30]

### संपर्क कार्यालयों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग

विदेशी कंपनियों या फर्मों या व्यष्टियों के संगम भारत में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात् शाखा या संपर्क कार्यालय द्वारा प्रचालित होती हैं। शाखा विदेशी अस्तित्व के स्थायी स्थापन का गठन करती है, और, इसलिए, उससे, अपेक्षित विवरणों के साथ आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाती है। कोई अनिवासी भारतीय इस आधार पर अपने संपर्क कार्यालय के संबंध में आय की विवरणी फाइल नहीं करता कि भारत में कोई कारबार गतिविधि करना अनुज्ञात नहीं है।

अनिवासियों से भारत में उनके संपर्क कार्यालयों की गतिविधियों के संबंध में नियमित सूचना प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसलिए, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285 अनिवासियों द्वारा उनके संपर्क कार्यालयों के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर विहित प्ररूप में विहित विवरण प्रदान करने वाला एक वार्षिक विवरण फाइल करना बाध्यकार आज्ञापक बनाने के लिए प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 31]

### भविष्य निधियों को मान्यता— कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से छूट प्राप्त करने के लिए समय सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का नियम 4 उन शर्तों का उपबंध करता है जो आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त करने या प्रतिधारण के लिए किसी भविष्य निधि द्वारा पूर्ण की, जाना अपेक्षित है। नियम 4 [खंड (डक)] की एक अपेक्षा यह है कि स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन स्थापन छूट प्राप्त करेगा (ईपीएफ और एम.पी.अधिनियम)।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 में उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में उक्त नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को और ऐसी शर्तों को पूरा करती है जिसे बोर्ड, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

नियम 3 के उपनियम (1) का पहला परंतुक, अन्य बातों के साथ यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामले में जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है वहां वह उस दशा में वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसी निधि 31 दिसंबर, 2010 को या उससे पूर्व नियम 4के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों को, जो बोर्ड इस निमित्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरा नहीं करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17के छूट चाहने वाले स्थापनों द्वारा किए गए आवेदनों को प्रक्रियागत करने के लिए और समय प्रदान करने हेतु परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि समय सीमा को 31 दिसंबर, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2012 किया जा सके।

यह संशोधन 1 जनवरी, 2011 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 33]